न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 12/2021 **GCMS 2021/125**

वादी

1. पेफाराम पुत्र धन्नाराम जाति खाती उम्र 76 वर्ष निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जगदीश पुत्र हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. नन्दलाल पुत्र हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
3. सोहनलाल पुत्र हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. मुन्नी पुत्री हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
5. सजना पुत्री हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
6. सन्तोष पुत्री हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा रिकार्ड इस्तकरार खातेदारी दर्ज करने बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री सुरेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रति. 1 से 6 की ओर से

निर्णय

दिनॉक 13/8/2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 0.72 हैक्टर में वादी की खरीद सुदा कृषि भूमि एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के कृषि भूमि स्थित चली आ रही है, प्रतिवादीगण 1 ता 6 की माताजी श्रीमति बरजी देवी पत्नी हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर से वादी ने दिनॉक 28.05.2019 को भूमि खरीद

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

की गई जिसका पंजियन उप पंजियक कार्यालय कुचामनसिटी में पुस्तक सं. 1 जिल्द संख्या 370 में पृष्ठ सं. 16 क्रम सं. 201903471101892 दिनॉक 28.05.2019 को पंजिबद्व हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की माताजी बरजीदेवी का स्वर्गवास दिनॉक 12.08.2019 हो चुका है तथा उनके स्वर्गवास पश्चात विरासत नामान्तरकरण से खातेदारी प्रतिवादी 1 से 6 के नाम दर्ज हो चुकी है, पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि विरासत नामान्तरकरण दर्ज होने से वादी के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही हो सकता। वादी उपरोक्त खसर नम्बर 79 रकबा 0.72 हैक्टर मे से खरीदसुदा कृषि भमि 0.12 हैक्टर का खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 79 रकबा 0.72 हैक्टर में से वादी की खरीदसुदा भूमि रकबा 0.12 हैक्टर की खातेदारी दर्ज की जावें व इस आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 5, 6 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनॉक 21.03.2022 को लिखित में राजीनामा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है तथा वादी के 0.12 हैक्टर भूमि दर्ज किये जाने का कथन किया है, प्रतिवादी सं. 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा दिनॉक 11.04.2022 को प्रस्तुत हुआ जिसमें कथन किया है कि उपरोक्त भूमि में वादी को 0.12 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावें, प्रतिवादी सं. 7 अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम जसराना के खाता संख्या 319 खसरा नम्बर 79 की प्रस्तुत की तथा बेचान दस्तावेज सं. 201903471101892 दिनॉक 28.05.2019 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बरजी देवी की छाया प्रति प्रस्तुत की।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, वकील वादी ने कथन किया है कि ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 79 रकबा 0.72 हैक्टर में वादी की खरीद सुदा भूमि 0.12 हैक्टर का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने वाद को स्वीकार करते हुए वादी द्वारा उनकी माता बरजी देवी से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज से क्रय सुदा भूमि को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। बेचान दस्तावेज से स्पष्ट है कि वादी द्वारा बेचान दस्तावेज सं. 201903471101892 दिनॉक 28.05.2019 से बरजी देवी से भूमि 0.12 हैक्टर क्रय की गई जिसका नामान्तरकरण दर्ज होने से शेष रहा है तथा इसी दौरान विक्रेता बरजी देवी की मृत्यु

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

हो गई तथा उसके हक हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नही हुआ है इससे पहले ही बरजी देवी के स्थान पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज हो गया। प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजो राजीनामा/इकबाली जवाब दावा अनुसार काबिल डिक्री योग्य पाया गया। अतः वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

वादी वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है, ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 79 रकबा 0.72 हैक्टर में वादी पेफाराम पुत्र धन्नाराम जाति खाती निवासी जसराना को 0.12 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उक्त भूमि 0.12 हैक्टर प्रतिवादी सं. 1 से 6 के हिस्से में से कम की जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 13/8/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर))

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 12 / 2021 **GCMS 2021/125**

वादी

1. पेफाराम पुत्र धन्नाराम जाति खाती उम्र 76 वर्ष निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जगदीश पुत्र हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. नन्दलाल पुत्र हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
3. सोहनलाल पुत्र हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
4. मुन्नी पुत्री हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
5. सजना पुत्री हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
6. सन्तोष पुत्री हरिबग्स जाति खाती निवासी जसराना तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा रिकार्ड इस्तकरार खातेदारी दर्ज करने बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, **वादी वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है, ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 79 रकबा 0.72 हैक्टर में वादी पेफाराम पुत्र धन्नाराम जाति खाती निवासी जसराना को 0.12 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, उक्त भूमि 0.12 हैक्टर प्रतिवादी सं. 1 से 6 के हिस्से में से कम की जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ....माह 13/8/2022 सन्............... को जारी की गई।

(मुहर) [मुहर: उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)]

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।